न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/2019

राधाकिशन शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा जाति जांगिड निवासी ए–17 अक्षरधाम टेनामेन्ट सोसायटी नोबल स्कूल के पास सहीजपुरा बोगा, कृष्णानगर नरोडा रोड अहमदाबाद (गुजरात)

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत डूण्डलोद जरिये सरंपच, ग्राम पंचायत डूण्डलोद तहसील नवलगढ
2. महावीरप्रसाद पुत्र औंकारमल जाति जांगिड निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ
3. सुनिता देवी शर्मा पत्नी राधाकिशन शर्मा जाति जांगिड निवासी ए–17 अक्षरधाम टेनामेन्ट सोसायटी नोबल स्कूल के पास सहीजपुरा बोगा, कृष्णानगर नरोडा रोड अहमदाबाद (गुजरात)
4. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2016 नामान्तरकरण सं0 1851
सरपंच ग्राम पंचायत डूण्डलोद पं.स.नवलगढ

ऐडवोकेट अपीलान्ट :– श्री अशोक कुमार जांगिड
ऐडवोकेट रेस्पोडेन्ट :– –

आदेश

दिनांक 13.09.2019

अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम डूण्डलोद की सरहद में खाता सं0 282 के अंतर्गत ख.न. 332 रकबा 1.38 है0 भूमि स्थित है जिसकी खातेदारी संवत 2068 से 2071 की जमाबंदी अनुसार महावीर प्रसाद रामौतार महेशचन्द पुत्रगण औंकारमल, रामादेवी पत्नी औंकारमल जाति जांगिड निवासी डूण्डलोद के नाम दर्जशुदा रही है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 का हिस्सा 1/4 दर्जशुदा चला आ रहा था तथा महावीर प्रसाद खातेदार काश्तकार रहा है। उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 2 महावीरप्रसाद ने अपने नाम दर्ज हिस्सा 1/4 अर्थात 0.3450 है0 भूमि को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2016 को अपीलान्ट राधाकिशन शर्मा व रेस्पोडेन्ट सं0 3 सुनितादेवी शर्मा को विक्रय कर विक्रय पत्र उप पंजियक नवलगढ के यहां तस्दीक व तकमील करवाकर मौके पर भौतिक रूप से कब्जाकाश्त संभला दिएिा था। इस अपील में विक्रय पत्र बनाने व कब्जा काश्त का कोई विवाद नही है। इसलिये उपरोत वर्णित ख.न. 332 रकबा 1.38 है0 के अन्य खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उनसे कोई विवाद है। इस अपील में केवल रेस्पोडेन्ट सं0 2 महावीर प्रसाद का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.3450 है0 का विक्रय पत्र से जो नामा0सं0 1851 दिनिांक 21.03.2016 को भरा गया का ही विवाद है, इस प्रकार अपीलान्ट राधाकिशन व रेस्पोडेन्ट सं0 3 सुनितादेवी शर्मा ने दिनांक 04.03.2016 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बनवाया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी से नामा0 सं0 1851 दिनाींकि 21.03.2016 को खोला गया जिसमें अपीलान्ट का नाम राधाकिशन शर्मा पुत्र फूलचन्द शर्मा दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट राधाकिशन शर्मा के पिता का नाम मूलचन्द शर्मा था जो पटवारी बनवारीलाल ने सहवन से मूलचन्द शर्मा के स्थान पर फूलचन्द शर्मा गलत दर्ज कर दिया गया जिसकी जांच हल्का गिरदावर ने भी की और उन्होने भी उक्त गलत नाम का कोई ध्यान नही दिया तथा अदालत मातहत ने भी दिनांक 21.03.2016 को नामा0 सं0 1851 को बिना कोई विक्रय पत्र में दर्ज नाम की कोई जांच करे नामा0 तस्दीक कर दिया। उक्त नामा0 की सुनवाई का भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट को कोइ मौका नही दिया और न ही विक्रय पत्र में दर्ज मूलचन्द के स्थान पर फूलचन्द दज की कोई जांच की है तथा पटवारी हल्का की

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

गलती से अपीलान्ट के पिता का नाम मूलचन्द शर्मा के स्थान पर फूलचन्द शर्मा दर्ज कर दिया जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही था।

ख.न. 332/1.38 है0 वाके ग्राम डूण्डलोद की खातेदारी संवत 2068–71 के अनुसार महावीरप्रसाद रामौतार महेशचन्द पुत्रगण औंकारमल रामादेवी पत्नी औंकारमल जाति जांगिड निवासी डूण्डलोद के नाम दर्जशुदा है। जिसमे 1/4 हिससा अर्थात 0.3450 है0 भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 2 महावीरप्रसाद की दर्ज है जिसको जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2016 को अपीलान्ट राधाकिशन शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा सुनितादेवी शर्मा पत्नी राधाकिशन शर्मा के नाम बनवाया जिस पर नामा 0सं0 1851 दिनांक 12.03.2016 खोलते समय अपीलान्ट के पिता का नाम मूलचन्द शर्मा के स्थान पर फूलचन्द शर्मा दर्ज कर दिया जिसके बारे में न तो अपीलान्ट को कुछ बताया ना ही अदालत मातहत रेस्पो0 नं0 1 अपीलान्ट को बुलाकर पुछताछ की।अतः अपील पेश कर निवेदन हे कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 21.03.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट राधाकिशन के पिता का नाम गलत रूप से दर्ज फूलचन्द शर्मा के स्थान पर मूलचन्द शर्मा किये जाने के आदेश प्रदान कर राजसव रिकार्ड में नामा0 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कार्यालय उप पंजियक नवलगढ से फोटो प्रति रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2016 के अनुसार महावीरप्रसाद पुत्र औंकार जाति जांगिड निवासी ग्राम डूण्डलोद तह0 नवलगढ विक्रेता द्वारा राधाकिशन पुत्र मूलचन्द व श्रीमती सुनितादेवी शर्मा पत्नी राधाकिशन शर्मा जाति जांगिड को ख.न. 282 रकबा 1.38 है0 का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.3450 है0 भूमि है जिसकी खातेदारी मुझ विक्रेता का हिस्सा 1/4 अर्थाित 0.3450 है0 सम्पूर्ण भूमि को क्रेतागण राधाकिशन शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा व श्रीमती सुनितादेवी शर्मा पत्नी राधाकिशन शर्मा जाति जांगिड निवासीगण ए–17 अक्षरधाम टेनामेन्ट सोसायटी नोबल स्कूल के पास सहीजपुरा बोगा, कृष्णानगर नरोडा रोड अहमदाबाद (गुजरात) को विक्रय कर दिया जाना अंकित करते हुये तस्दीक करवाया गया है। नामा0सं0 1851 गाम पंचायत डूण्डलोद निर्णय दिनांक 21.03.2016 महावीरप्रसाद पिता औंकार हि0 1/4 जाति जांगिड सा.दे के स्थान पर क्रेता के पिता का नाम फूलचन्द शर्मा वर्णित कर दिया। मुताबिक रजि0 विक्रय पत्र अपीलान्ट के पिता का सही नाम मूलचन्द शर्मा जाति जांगिड होना अंकित है। अतः अपील अपीलान्ट न्यायोचित होने से स्वीकार की जाती हे।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरणकरण सं0 1851 निर्णित दिनांक 21.03.2016 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उपहार पत्र दिनांक रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2016 के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज किया जावे। निर्णय दिनांक 13.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13-9-16

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner